सिलक राम और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य

6 अगस्त 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और और डी.के.जैन,जे.जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 154 एफ.आई.आर., एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी-अभियोजन पक्ष पर प्रभाव जाति-धारण एफआईआर दर्ज करने में देरी अपने आप में अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगी जब तक इसे स्पष्ट नहीं किया जाता है और इस तरह की देरी साक्ष्य के गढ़ने की संभावना के साथ जुड़ी होती है- तथ्यों पर, एफआईआर दर्ज करने में देरी और रिपोर्ट की प्रति को एक मजिस्ट्रेट को भेजने में पूरी तरह से समझाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के मामले में देरी घातक नहीं है। इसके अलावा साक्ष्य चश्मदीद गवाह ठोस और विश्वसनीय है। इसलिए एक की हत्या के लिए धारा 302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाना नयायसंगत है,

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी एन ने जे के साथ एक छोटे से मुद्दे पर झगड़ा किया। 15-20 दिन बाद आरोपी और जे के बीच तीखी नोकझोंक हुई उसके बाद आधी रात के दौरान आरोपी एस, एन,

और बी ने हथियारों से लैस होकर जे को चोट पहुंचाई। उसकी चीख सुनकर जे की माँ, उसका चाचा और ताऊ का लड़का मौके पर आये और घटना देखी। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया और जे की मौत हो गई। गांव और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी, घटनास्थल और थाने के बीच की दूरी 21 किलोमीटर थी, जिस कारण जे की माँ का बयान अगले दिन सुबह 9:40 बजे दर्ज किये गये तथा एफआईआर सुबह 11 बजे दर्ज की गई थी, और इलाका मजिस्ट्रेट को एफआईआर की प्रति शाम को 7 बजे मिली। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष ने 3 चश्मदीदों सहित 14 गवाहों से पूछताछ की। ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य पर भरोसा किया और आरोपियों को आई.पी.सी. की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने आरोपी एस और एन की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। हालांकि आरोपी बी की सजा को घटनाकर 10 साल के कारावास में बदल दिया।

इसलिए वर्तमान अपील में अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि पीडब्ल्यू के साक्ष्य 10, 11 और 14 को स्वीकार नहीं किया जा सकता, कि पीडब्ल्यू 10 आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने में असफल रहा, और यह कि एफआईआर दर्ज करने और प्रेषण में अस्पष्ट देरी हुई थी। इलाका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की एक प्रति।

रिपोर्ट में अपील को खारिज करते हुये, न्यायालय ने कहाः

1.1 एफआईआर दर्ज करने में देरी अपने आप में अभियोजन संस्करण को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जब तक कि यह अस्पष्ट न हो और इस तरह की देरी के साथ धोखाधड़ी की संभावना के साथ जुड़ी हो। ऐसा कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी घातक हो और अभियोजन पक्ष के बयान में इस तरह की देरी के कारण इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। देरी के तथ्य के कारण अदालत को साक्ष्य के साथ पेश किये गये सबूतों की जांच करने में अधिक देखभाल और सावधानी की आवश्यकता होती है।

2.1 चश्मदीद साक्षीगण पीडब्ल्यू 11 व 14 ने घटना से संबंधित संपूर्ण विवरण दिया। पीडब्ल्यू 11 का साक्ष्य ठोस और सुसंगत था और वह चिकित्सीय साक्ष्य के साथ मेल खाता था। इसलिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों, विशेष रूप से पीडब्ल्यू 11 के साक्ष्य पर अधिक भरोसा करना उचित ठहराया।

2.2 यह जांच अधिकारी के साक्ष्य में यह रिकार्ड पर आया कि संबंधित क्षेत्र में बाढ़ होने के कारण एफ.आई.आर. सुबह 11 बजे दर्ज की गई थी, और चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू 10, 11, और 14 में घटनाओं का सजीव विवरण दिया गया हैं और एफ.आई.आर. मजिस्ट्रेट को शाम को 7 बजे प्राप्त हुई उक्त एफ.आई.आर. की मजिस्ट्रेट को डिलीवरी में हुई देरी

बाढ़ के कारण हुई थी, और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे विशेष रूप से नोट किया था। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को सही ढंग से स्वीकार किया कि देरी बाढ़ के कारण हुई थी और किसी भी स्तर पर यह विवाद नहीं उठाया गया कि वास्तव में प्रश्न वाले क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आई थी। देरी को पूरी तरह से समझाया गया था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1020/2007

निर्णय और आदेश दिनांक 22.09.2006 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 296-डी बी 1997 में।

अपीलकर्ताओं के लिए डॉ. विकास वशिष्ठ और चंदर शेखर आशरी।

प्रतिवादी के लिए राजीव गौड़ नसीम, राजेश रंजन और टी.वी. जॉर्ज

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा वितरित किया गया।

सिलक राम/ हरियाणा राज्य {पसायत जम्मू}

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ताअसें द्वारा

दायर अपील के खारिज कर दिया गया। जगबीर (इसके बाद बी को मृतक के रूप में संदर्भित किया गया है) की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत कथित दंडनीय अपराध के लिए तीन आरोपियों को मुकदमे का विचारण का सामना करना पड़ा। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम), भिवानी, हरियाणा द्वारा दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और डिफॉल्ट शर्त के साथ 2,000/- का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

3. अनावश्यक विवरण के बिना अभियोजन संस्करण इस प्रकार है। आरोपी और मृतक धनाना गांव के निवासी है। जगबीर श्रीमति भूलन का बेटा था, और कृष्णा उसकी बेटी थी, दोनों शादीशुदा थे। घटना से 15 दिन पहले गांव में बाढ़ आने के कारण, जगबीर की पत्नी प्रेम उसके पैतृक घर उसके पास गई हुई थी। गाँव की गलियों में बाढ़ आने के कारण शिकायतकर्ता श्रीमति भूलन धर्मशाला ब्रह्मचारी आश्रम के पास अपने मवेशियों को बांधती थी और जगबीर मवेशियों के पास सोता था। 24.09.1995 को लगभग 9/9ः30 बजे, खाना खाने के बाद जगबीर हमेशा की तरह आरोपी सिलक राम पुत्र रामभगत के बैठने वाले कमरे में गया, जहां नरोत्तम उर्फ राजा, सिलक राम और बिजेन्द्र उर्फ बिंदर यानी तीनों आरोपी मौजूद थे। बातचीत के दौरान जगबीर ने वहां मौजूद नरेन्द्र नाम के व्यक्ति को बताया कि बिजेंद्र उर्फ बिंदर एक घटिया व्यक्ति है

और वह किसी भी समय अपराध कर सकता है। घटना से 15-20 दिन पहले भैंस द्वारा मचाये गये उपद्रव को लेकर नरोत्तम का जगबीर से झगड़ा भी हुआ था। उनके और जगबीर के बीच गर्मागर्म बातें भी हुई, जिसमें श्रीमति भूलन ने हस्तक्षेप किया तथा अपने बेटे को वापस घर ले आई और उसे मवेशियों के पास सोने के लिए कहा। श्रीमति भूलन ने अपने बयान में आगे कहा कि रात में जब वह पेशाब करने के लिए उठी तो उसने अपने बेटे की चीख सुनी और इसलिए वह ब्रह्मचारी आश्रम की तरफ भागी जहाँ उसका बेटा सो रहा था। चतर सिंह (उनके पति का भाई) और उनका बेटा वेदप्रकाश भी उस तरफ भागे। उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम की रोशनी में देखा कि आरोपी नरोत्तम उर्फ राजा गंडासी से लैस, बिजेंद्र उर्फ बिंदर फाली से तथा सिलक राम लाठी से लैस होकर जगबीर को चोटें पहुंचा रहे थे। उनकी मौजूदगी में नरोत्तम उर्फ राजा ने जसबीर की दाहिनी कनपटी पर गंडासी का वार किया, बिजेंद्र उर्फ बिंदर ने उसकी छाती के दाहिनी ओर फाली मारी और सिलक राम ने भी लाठियों से वार किया। प्रत्यक्षदर्शियों को देखकर आरोपी मौके से भाग गये। जब वे जगबीर के पास पहुंचे तो देखा कि वह दम तोड़ चुका था। गांव में बाढ़ का पानी भर गया था। और गांव के आसपास के इलाकों में और डर के कारण वे तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं जा सके। अंततः जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तो एएसआई नरसिंह मांढाल गांव के चौराहे पर श्रीमति भूलन से मिले और उसके बयान दर्ज किये। जो सुबह 9ः40 बजे 25.9.1995 को पूरे हुए।

जिसके आधार पर उसी दिन 11 बजे पुलिस स्टेशन, भिवानी खेड़ा में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद एसआई दर्शन लाल द्वारा कानिस्टेबल देवेन्द्र कुमार नंबर 579 के माध्यम से इलाका मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजी गई जो उन्हें उसी दिन शाम 7 बजे प्राप्त हुई। घटनास्थल और थाने के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। रूका भेजने के बाद, एसआई दर्शन लाल गांव के लिए रवाना हुये, शव की तस्वीर ली, जांच रिपोर्ट तैयार की, खून से सनी मिट्टी, एक जोड़ी चप्पल और रोड़ी के कुछ टुकड़े उठाये, जिन पर उन्होंने खून देखा था। उन्होंने इंसानों के खून से सनी खाट की डोरी, थ्रेसर, ट्रॉली में लगे हुए खून के धब्बे को अलग अलग मेमो के जरिये उन्हें अपने कब्जे में लिया गया। उन्होंने घटना स्थल का नक्शामौका भी तैयार किया, और गवाहों के बयान दर्ज किये। उन्होंने जगबीर के शव का पोस्टमार्टम भी करवाया। दिनांक 30.05.1995 को उन्होंने आरोपी को गांव धनाना के बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने आरोपी सिलक राम द्वारा दिये गये, प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में एक घर के कमरे से लाठी, शर्ट-पायजामा बरामद किया। इसी प्रकार आरोपी बिजेन्द्र उर्फ बिंदर द्वारा दिये गये प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में उसने अलग-अलग स्थानों से फाली, अपराध का हथियार और कपड़े बरामद किये और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने नरोत्तम के खुलासे के अनुसार किसी आबादी वाले स्थान से गोबर के ढेर के नीचे से गंडासी, विभिन्न स्थानों से शर्ट और पायजामा भी बरामद किया और

अलग-अलग पार्सल के माध्यम से उन्हें अपने कब्जे में ले लिया।

4.अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला पाये जाने पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

5.अभियोजन संस्करण को आगे बढ़ाते हुए 14 गवाहों की जांच की गई। जिन 3 गवाहों के बारे में चश्मदीद होने का दावा किया गया था, वे पीडब्लू 10, 11 और 14 थे। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहाेंं के साक्ष्य पर भरोसा किया और दोषी ठहराने का निर्देश दिया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। अपराधबोध के निष्कर्ष को चुनौती देने के अलावा यह तर्क दिया गया कि आरोपी बिजेंद्र उर्फ बिंदर किशोर था, और इसलिए वह किशोर जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 2000 (संक्षेप में किशोर अधिनियम) के तहत दी गई सुरक्षा का हकदार था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुये माना कि अपराध के समय आरोपी बिजेंद्र की आयु 16 वर्ष थी, और उच्च न्यायालय के फैसले के समय उसकी आयु 29 वर्ष थी तो यह माना गया कि अगर उसे किशोरों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति दी गई तो वह अपने सुधार की तुलना में किशोरों को अधिक बिगाड़ सकता है, इसलिए

उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान अपील सिलक राम और नरोत्तम उर्फ राजा द्वारा दायर की गई हैं। जहां तक इन दोनों आरोपी व्यक्तियों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है।

6.अपील के समर्थन में अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पीडब्ल्यू 10, 11 और 14 के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पीडब्ल्यू 10 सभी आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने में विफल रहा, और सह-अभियुक्त राजा की पहचान करने में भी विफल रहा था। यह तर्क दिया गया कि एफआईआर दर्ज करने और रिपोर्ट की प्रति इलाका मजिस्ट्रेट को भेजने में अस्पष्ट देरी हुई थी।

7.दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निम्न न्यायालयों के निर्णयों का समर्थन किया।

8.यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू 10, 11 और 14 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। भले ही पीडब्लू 10 द्वारा पहचान में भ्रम था। उच्च न्यायालय ने मुख्य परीक्षा के दौरान सही ढंग से देखा कि पीडब्ल्यू 10 ने आरोपी व्यक्तियो की सही ढंग से पहचान की थी, लेकिन जिरह में उसने केवल एक व्यक्ति की पहचान की। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पीडब्ल्यू 11 के साक्ष्य का विश्लेषण किया गया है और उसके बयान ठोस और विश्वसनीय पाये गये। इसलिए, ट्रायल कोर्ट

और हाई कोर्ट द्वारा चश्मदीद गवाहों के सबूतांे पर अधिक भरोसा करना उचित था, खासकर पीडब्ल्यू 11 के बयानों पर।

9.इसके साथ ही इस निष्कर्ष पर विचार किया जाना कि एफआईआर दर्ज करने और इलाका मजिस्ट्रेट को रिपार्ट भेजने में देरी हुई थी। उक्त तर्क पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विचार दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के संस्करण को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वह अस्पष्ट न हो, और इस तरह से हुई देरी से साक्ष्यों के मनगढंत होने की संभावना भी हो। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी घातक हो, और अभियोजन संस्करण में इस तरह की देरी के कारण संस्करण को खारिज कर दिया जाना चाहिए। देरी के तथ्यों के साथ अदालत को साक्ष्य में प्रस्तुत साक्ष्य की जांच अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का विस्तृत विवरण दिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीडब्ल्यू 11 का साक्ष्य ठोस और सुसंगत है, और इस गवाह द्वारा दिया गया संस्करण चिकित्सा साक्ष्य के साथ मेल खाता है। जांच अधिकारी के साक्ष्य में यह रिकॉर्ड में आया है कि बवानी खेड़ा और भिवानी के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, और धनाना से भिवानी तक लगभग 18 किमी. है, और धनाना से मुंढाल लगभग 12 किमी. है। जांच अधिकारी ने

साफ तौर पर कहा है कि इलाकों में बाढ़ आई हुई थी और एफआईआर में यह विशेष रूप से कहा गया कि घटना 24/25.08.1995 की आधी रात के आसपास हुई थी। बयान 25.09.1995 को सुबह 9ः40 बजे मुंढाल खुर्द चौक पर दर्ज किया गया था, और उसे थाना भिवानी खेड़ा को भेज दिया गया। औपचारिक एफआईआर से पता चलता है कि यह सुबह 11 बजे दर्ज की गई थी और शाम 7 बजे तक मजिस्ट्रेट के पास पहुंची थी, और एफ.आई.आर. देरी से डिलीवर होने का कारण डिलीवरी क्षेत्र में बाढ़ का होना था और इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से नोट किया था। जिन्होंने इस प्रकार रिपोर्ट की है,

"25 सितंबर 1995 को शाम 7 बजे कानिस्टेबल देवेंद्र कुमार से प्राप्त किया गया। कहा गया कि बाढ़ के करण वह देर से पहुंचा।"

10. ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने ये तथ्य स्वीकार किया कि देरी बाढ़ के कारण हुई थी और किसी भी स्तर पर ये प्रश्न नहीं उठाया गया कि वास्तव में संबंधित क्षेत्राेंं में कोई बाढ़ नहीं आई हुई थी। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने विलंब को पूरी तरह से समझाया गया है।

11. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, इस अपील को स्वीकार करने की कोई योग्यता नहीं है, जिसे खारिज किया गया है। अपील खारिज कर दी गई है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजवीर कौर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।